



SAVE TREE



SAVE JHARKHAND



कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।
मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह, पीन कोड-815316
email-dfo-giridiheast@gov.in, Phone No.-06532-222127

WDC –PMKSY 2.0 अन्तर्गत गिरिडीह परियोजना में अनुबंध के अधार पर “जलछाजन विकास दल” के सदस्यों की नियुक्ति की सूचना

WALK IN INTERVIEW

जिला प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल-सह-PIA WDC –PMKSY 2.0 के अधीन केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC –PMKSY 2.0) के तहत गिरिडीह जिले में स्वीकृत परियोजनाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु अनुबंध के आधार पर पूर्णतः अस्थायी तौर पर निम्नलिखित विषयों के जलछाजन विकास दल के सदस्य की नियुक्ति साक्षात्कार (WALK IN INTERVIEW) के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार दिनांक-05.12.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल कार्यालय मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह में आयोजित किया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता :-

क्र०	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	पदों की संख्या	मानदेय (प्रति माह)
01	Engineering expert	1. Diploma/Degree in Civil/Agriculture Engineering and related fields. 2. Diploma in watershed having two years of relevant experience. 3. Must be conversant with GIS/Satellite imagery working.	01	25000 / -
02	Social Mobilization and institutional building	1. PG in Social Sciences, MSW, Rural Development or 2. Graduate in any discipline with two or more years of experience in community organization.	01	15000 / -
03	Agriculture and Livelihood Expert	2. MBA in Finance, ICWA, Costing desirable. 1. Graduation or Diploma in Watershed Management, Fishery, Agriculture, Horticulture, Forestry, Apiculture, Agro Forestry or Allied Science.	01	20000 / -

Female candidate will be selected for at least one of the above roles. **अन्य शैक्षणिक योग्यता :-**

1. Computer Literate
2. Knowledge in Local Language/Dialect
3. Two-Wheeler driving skill (with valid driving license) must for sl. no. 1, 2&3

अनुभव:— किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान से जलछाजन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कार्य अनुभव को प्रथमिकता ।

आयुसीमा अधिकतम **40** वर्ष

सेवा शर्त :-

- 1- नियुक्ति पूर्णतः मानदेय के आधार पर होगी ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।
- 2- प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी, तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा, अन्यथा ऐसी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी ।
- 3- अगर नियुक्त व्यक्ति स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी । कार्यरत कर्मियों के सेवा की आवश्यकता नहीं होने पर एक माह की लिखित सूचना देकर कार्यरत कर्मियों की सेवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी ।
- 4- क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान निर्धारित यात्रा भत्ता अलग से देय होगा ।
- 5- नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।
- 6- साक्षात्कार हेतु आवेदक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 7- नियुक्त उम्मीदवार को कार्यस्थल में रहना अनिवार्य होगा ।
- 8- इस परियोजना अन्तर्गत पी०आई०ए० के प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
- 9- इच्छुक व्यक्ति अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र अनुभव प्रमाण-पत्र, अभिप्रमाणित कराकर अपना पूर्ण बायोडाटा विहित प्रपत्र के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे ।
- 10- साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण-पत्र रखना अनिवार्य होगा ।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल-सह-
PIA, WDC-PMKSY2.0
पो०-पचम्बा, गिरिडीह ।